

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003

फोन-0755-2555916 फेक्स-2552665

ई-मेल dpswbpl@nic.in, md.samagra@mp.gov.in

sparsh.samagra.gov.in

क्रमांक / स्पर्श / नि.वि. / 2018 / 146/10

भोपाल, दिनांक 06/01/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश।
2. समस्त संयुक्त/उप संचालक,  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण  
मध्यप्रदेश।

विषय :- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन स्पर्श पोर्टल (sparsh.samagra.gov.in) से करने के संबंध में।

निःशक्तजनों के लाभ के लिये शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभ को एक ही स्थान पर सरलीकृत रूप से प्रदाय करने हेतु यह आवश्यक है कि समस्त निःशक्तजनों की एकीकृत जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहे, इस हेतु एन.आई.सी. म.प्र. के माध्यम से स्पर्श पोर्टल (sparsh.samagra.gov.in) विकसित किया गया है।

2. निःशक्तजनों को विवाह उपरांत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित है। उक्त योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन व समीक्षा हेतु स्पर्श पोर्टल पर प्रावधान किया गया है। स्पर्श पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही कर पात्र निःशक्त व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें :-
  - 2.1 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। 9 अंकों की समग्र आई.डी. की सहायता से कोई भी निःशक्त व्यक्ति या कार्यालय, आवेदन को ऑनलाईन दर्ज कर सकता है।
  - 2.2 यदि दम्पति में से केवल एक निःशक्त है तो एकल आवेदन दर्ज किया जायेगा एवं यदि दम्पति (पति व पत्नि) दोनो निःशक्त है तो संयुक्त आवेदन किया जायेगा व दोनो की 9 अंकों की समग्र आईडी आवेदन में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
  - 2.3 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करने पर समग्र पोर्टल पर दर्ज सामान्य जानकारी प्रदर्शित होगी।

- 2.4 निःशक्तता प्रमाण-पत्र, फोटो, विवाह प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक एवं आय प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र) को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (यदि आवेदक का फोटो व निःशक्तता प्रमाण-पत्र पूर्व से ही स्पर्श पोर्टल पर अपलोड है तो पुनः प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक नहीं है)
- 2.5 आवेदक का मोबाइल नम्बर, विवाह दिनांक, विवाह का स्थान, वार्षिक आय की जानकारी इत्यादि को दर्ज कर ऑनलाईन आवेदन किया जाये।
- 2.6 दर्ज ऑनलाईन आवेदन संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के यूजर पर उपलब्ध होंगे। प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत (कारण सहित) करने की कार्यवाही समय-सीमा (लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अनुसार) की जाये।
- 2.7 योजना अंतर्गत स्वीकृति आदेश जेनरेट कर हितग्राही को सहायता राशि का भुगतान उनके बैंक बचत खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में किया जाये।
3. जिला कार्यालय में प्राप्त ऑफलाईन आवेदन को संबंधित जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आवेदन को ऑनलाईन दर्ज किया जाये।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर 1 जनवरी 2018 से निःशक्त विवाह प्रोत्साहन के प्राप्त आवेदनों (ऑफलाईन/ऑनलाईन) प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकृत या अस्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये (यूजर मैनुअल परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न)। निःशक्त विवाह योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या व सुझाव होने पर विस्तृत जानकारी सहित श्री महेन्द्र त्यागी, प्रोग्रामर के ई-मेल आईडी mahendra.tyagi@mp.gov.in या संचालनालय के ई-मेल आईडी dpswbpl@nic.in व दूरभाष नम्बर 0755-2555700, 2558396 पर संपर्क किया जा सकता है।



(अशोक शाह)

आयुक्त,  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

पृ. क्रमांक/स्पर्श/नि.वि./2018/146/11  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06/01/2018

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
- 2- समस्त संभाग आयुक्त, म.प्र.।
- 3- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
- 3- श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. विंध्याचल भवन म.प्र.।
- 4- संयुक्त संचालक/उप संचालक, प्रभारी अधिकारी, संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- श्री महेन्द्र त्यागी, प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त,  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण



मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग



Application User Manual

For

निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

अंतर्गत

ऑनलाईन आवेदन व स्वीकृत करने की प्रक्रिया

संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण हेतु

(Version 1.0)

Prepared by

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

एवं

राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र

भोपाल, म0प्र0

जनवरी 2018

## निःशक्तजनों हेतु विवाह प्रोत्साहन योजना

योजना कब से प्रारंभ की गई 12 अगस्त 2008

योजना का स्वरूप - निःशक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है।

### 1. पात्रता के मापदंड

- 1- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता हो।
- 2- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 3- न्यूनतम आयु- आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।  
Male Age  $\geq$  21 & Female  $\geq$  18
- 4- विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति/ या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।
- 5- आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।

### 2. अन्य शर्तें

- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता उनके पूरे जीवनकाल में एक बार दी जावेगी । विधवा/परित्यक्ता/विधुर होने की स्थिति में पूर्व सहायता प्राप्त कर लेने की स्थिति में पुनः उसे पात्रता नहीं आवेगी ।
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत निःशक्तता होना आवश्यक है जो दंपति (पति/पत्नी में से कोई एक निःशक्त है वही आवेदन कर सकेगा। दोनों के निःशक्त होने की स्थिति में संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा । विवाह की पुष्टि हेतु विवाह अधिनियम 1954 के तहत बनाये गये नियम 2008 के तहत विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति-रिवाज एवं विधि पूर्वक संपन्न हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र अभिकथन/शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- निःशक्त दंपति (पति/पत्नी) यदि दोनों संयुक्त रूप से आवेदन करते हैं तो पति के मूल निवास का स्थान जहां उसका स्थाई पता, भवन, परिसंपत्ति, भूमि आदि की पुष्टि की जाकर पति/पत्नी को एक स्थान पर यथा पति के मूल निवास जिले में लाभ दिया जायेगा । यही व्यवस्था यदि पत्नी विकलांग है और पत्नी का निवास स्थान पति से भिन्न है तो पत्नी आवेदक के रूप में जिस जिले की वह मूल निवासी है वहां उसको आवेदन करना होगा ।
- निःशक्त विवाह करने के पूर्व निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त के लिए उसी प्रकार आवेदन करना होगा जिस प्रकार मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के लिए आवेदन करना होगा। निःशक्त दंपति में से कोई आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा । अन्यथा निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी ।
- स्वीकृत सहायता निःशक्त व्यक्ति के विवाह विच्छेद अथवा विवाह विघटन 5 वर्ष के पूर्व होता है तो विवाह प्रोत्साहन सहायता राशि शासन को वापस करना होगी। आवेदक द्वारा राशि वापस नहीं किये जाने की स्थिति में भू-राजस्व की बकाया की तरह सहायता राशि वसूली के योग्य होगी।

### 3. सहायता राशि

- यदि दम्पति में से एक निःशक्त तथा एक सामान्य है तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु रूपये 2.00 लाख प्रोत्साहित राशि दी जावेगी।
- युवक व युवती दोनों के निःशक्त होने पर संयुक्त रूप से दम्पति को रूपये 1.00 लाख सहायता राशि दी जावेगी।

सहायता राशि तभी देय होगी, जब विवाह सक्षम अधिकारी के यहां पंजीकृत हो और उसके द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, अन्यथा राशि देय नहीं होगी।

### 4. आवश्यक दस्तावेज :

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें:-

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
2. चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की छायाप्रति
3. आयकरदाता न होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
4. आयु संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
5. निःशक्त दंपति का संयुक्त दो पासपोर्ट साइज के फोटो
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
7. परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति
8. बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें बचत खाता नम्बर अंकित हो।

### 5. सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन या ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

6. स्वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी - संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग

आवेदन पत्र के निराकरण की समय-सीमा - 15 कार्य दिवस

नोट :- निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवेदक द्वारा आवेदन विवाह के उपरांत किया जाता है। निःशक्तजनों द्वारा यदि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत भी शादी की जाती है तो उन्हें निःशक्त विवाह सहायता योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ भी प्रदाय किया जाता है।

**स्पर्श पोर्टल (<http://sparsh.samagra.gov.in/>)**

निःशक्तजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर सरलीकृत रूप से प्रदाय करने हेतु एन.आई.सी. म.प्र. के द्वारा स्पर्श पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल के माध्यम से निःशक्तजनों द्वारा 9 अंकों की समग्र आईडी की सहायता निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन

सर्वप्रथम स्पर्श पोर्टल <http://sparsh.samagra.gov.in/> पर Logon करें ।

SPARSH ABHIYAN : स्पर्श अभियान  
Special Project for Assistance, Rehabilitation & Strengthening of Handicapped (SPARSH) - a caring touch for disabled, old and destitute persons

निःशक्त कल्याण  
निःशक्तजनों का चिन्हांकन कर उनके शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति एवं अन्य आवश्यक सहायता कर आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना, पात्र को शासकीय/निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना.

विकलांगता सूचना लाईन  
1800 233 4397  
● जिले की ऑफिस की जानकारी  
● स्पर्श मित्रों की जानकारी  
● खोज रीडर की जानकारी

निःशक्त को दी जाने वाली सुविधाएँ एवं सेवाएँ

निःशक्त पंजीकरण PwD Registration	शल्य चिकित्सा Corrective Surgery	सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग व प्रदाय Assistive Devices
बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि के लिए आर्थिक सहायता Financial Assistance to MR and MD	मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना Mukhyamantri Shiksha Protshan Yojna	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना Nishakt Vivah Yojna
प्रशिक्षण Training Programme	रोजगार हेतु सहायता Employment Assistance	निःशक्त कल्याण हेतु अन्य योजनाएँ Other Schemes for PwD Welfare
बाधा रहित वातावरण Barrier Free Environment	रिजिस्ट्रार को सर्च करें Search Registered Beneficiary	स्पर्श कार्ड डाउनलोड करें Download Sparsh Card

आवेदन दर्ज करने हेतु निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करें

निम्नानुसार योजना हेतु पेज Open हो जायेगा

स्पर्श अभियान : मध्य प्रदेश के निःशक्त व्यक्तियों के लिये विवाह प्रोत्साहन योजना

ऐसे निःशक्त व्यक्ति स...  
आवेदन दर्ज करने हेतु निःशक्त विवाह के लिए आवेदन करें

Apply for Nishakt Vivah  
निःशक्त विवाह के लिए आवेदन करें

निःशक्त विवाह के लिए नियम एवं पात्रता देखें

निःशक्तजनों हेतु विवाह प्रोत्साहन योजना

योजना कब से प्रारंभ की गई 12 अगस्त 2008

योजना का स्वरूप - निःशक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है।

अ . पात्रता के मापदंड

- 1- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता हो।
- 2- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 3- न्यूनतम आयु- आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति/ या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।
- 4- आवेदक/ आवेदिका आयकरदाता न हो।

आवेदन ऑनलाईन दर्ज करने हेतु नवीन पेज Open होगा।

यदि केवल आवेदक निःशक्त है अर्थात् पति/पत्नि में से कोई एक निःशक्त है तो Single Applicant व यदि पति/पत्नि दोनो निःशक्त है तो Joint Applicant का विकल्प चुने।

1. Single Applicant में आवेदक की 9 अंकों की समग्र आईडी अनिवार्य है,
2. Joint Applicant में पति/पत्नि दोनो की 9 अंकों की समग्र आईडी अनिवार्य है
3. यदि आवेदक का पंजीयन स्पर्श पोर्टल पर नहीं है तो आवेदक को स्पर्श पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, जिसके लिये **Register link** पर क्लिक कर पंजीयन किया जा सकता है।

आवेदन करने हेतु Single या Joint Applicant में से किसी एक विकल्प का चयन करें

**Marriage Details**

विवाह दिनांक: 22/04/2016 Applicant की आयु: Applicant Age :28, Spouse Age :19  
 विवाह का स्थान: babal

**Income Details**

वार्षिक आय: 100000 Income Tax Payee:

**Attachments**

\*सभी डॉक्यूमेंट jpg फॉर्मेट में अपलोड करें एवं फाइल साईज़ 100 KB से अधिक न हो।

अपलोड पासबुक: Browse... No file selected.  
 संयुक्त फोटो: Browse... No file selected.  
 विवाह प्रमाण पत्र: Browse... No file selected.  
 आय प्रमाण पत्र: Browse... No file selected.

विभिन्न प्रमाण पत्र को अपलोड करना अनिवार्य है

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है तथा मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी दस्तावेजों के मिलान के समय गलत पाई जाती है तो उस स्थिति में मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये।

Save

उपरोक्तानुसार जानकारी दर्ज करने व प्रमाण-पत्र अपलोड करने के उपरांत Save Button पर क्लिक करें, जिससे आवेदन ऑनलाईन दर्ज हो जायेगा।

**SPARSH Portal : स्पर्श पोर्टल**  
**Special Project for Assistance, Rehabilitation & Strengthening of Handicapped (SPARSH) - a caring touch for disabled, old and destitute persons**  
 निःशक्त विवाह के लिये आवेदन दर्ज करें।

\*सभी डॉक्यूमेंट jpg फॉर्मेट में अपलोड करें एवं फाइल साईज़ 100 KB से अधिक न हो।

चुनें:  Single Applicant  Joint Applicant

समग्र सदस्य आई.टी. :  [Click Here](#) [Register](#)

SUCCESS:Marriage Application has been saved

संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के जिला कार्यालय sparsh.samagra.gov.in पर Login करेंगे

**SPARSH Portal : स्पर्श पोर्टल**  
**Special Project for Assistance, Rehabilitation & Strengthening of Handicapped (SPARSH) - a caring touch for disabled, old and destitute persons**

Home Update Information Employee Management Process PwD's Request Entry for Provided Assistance Manage PwD Shiksha Prothahan Yojna

Reports Last Login **Nishakt Vivah**

Sanction Nishakt Vivah  
 State Level Count Report  
 Generate Sanction Order

Welcome to Administration Office

Sanction Nishakt Vivah पर क्लिक करें जिससे कि जिला स्तर पर प्राप्त लंबित आवेदनों की सूची निम्नानुसार प्राप्त हो जायेगी

Sanction Nishakt Vivah

Application Type: Pending

Search

SNO	Local Body	Samgra ID	Name	Age	Gender	Spouse Name	Spouse Age	Marriage Date	View Document
1	जनपद पंचायत, काबई	125	ayan Yadav	29	Male	i Yadav	20	22/04/2016	<a href="#">View Applicant Details</a> <a href="#">Joint Photo</a> <a href="#">Marriage Certificate</a> <a href="#">Income Certificate</a> <a href="#">Passbook</a> <a href="#">Disability Certificate</a> <a href="#">Spouse Disability Certificate</a>

View Applicant Details पर क्लिक कर आवेदन देखे व अपलोड किये गये फोटो व प्रमाण पत्र की जानकारी को देखे ।

View Applicant Details

Applicant Details			
आवेदक का नाम	Li idav	फोटो	
समग्र आई. डी.	1:		
पिता का नाम		लिंग	Male
जन्म दिनांक	0	वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
मोबाइल न.	7:	आधार न.	
जिला	होशंगाबाद	स्थानीय निकाय	जनपद पंचायत, बाबई
ज़ोन	मौरासा	ग्राम/ज़ोन	मौरासा
Applicant Disability Details			
निःशक्तता का प्रकार	चलन निःशक्तता - अस्थि बाधित	निःशक्तता का प्रतिशत	40
Account Details of Applicant			
IFSC कोड	CB	अकाउंट न.	11787
Spouse Details			
स्पाउज का नाम		जन्म दिनांक	0
लिंग	Female	वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
फेमिली आई. डी.	2	मोबाइल न.	
आधार न.		जिला	होशंगाबाद
स्थानीय निकाय	जनपद पंचायत, बाबई	ज़ोन	पवारखेडालाखुर्द
ग्राम/ज़ोन	पवारखेडा खुर्द		
Spouse Disability Details			
निःशक्तता का प्रकार	चलन निःशक्त	निःशक्तता का प्रतिशत	
Marriage Details			
विवाह दिनांक		संयुक्त फोटो	
विवाह का स्थान	babai		
<input type="button" value="Sanction"/> <input type="button" value="Temporary Reject"/> <input type="button" value="Parmanent Reject"/> <input type="button" value="Close"/>			

अपलोड किये गये प्रमाण-पत्रों का परीक्षण कर पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करें।

Sanction Details	
वर्ग:	Joint Applicant
राशी:	100000
टिप्पणी:	sanctioned
<input type="button" value="Sanction"/> <input type="button" value="Close"/>	

Temporary Reject	
Reason :	-Select-
Remark :	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Select-</li> <li>Not PwDs</li> <li>Age Issue</li> <li>Income Tax Payee</li> <li>Others</li> </ul>
<input type="button" value="Temporary Reject"/> <input type="button" value="Close"/>	

SPARSH Portal : स्पर्श पोर्टल  
**S**pecial **P**roject for **A**ssistance, **R**ehabilitation & **S**trengthening of **H**andicapped (**SPARSH**) - a caring touch for disabled, old and destitute persons

Home Update Information \* Employee Management \* Process PwD's Request \* Entry for Provided Assistance \* Manage PwD \* Shiksha Protshahan Yojna \*

Reports \* Last Login \* Nishakt Vivah \*

Sanction Nishakt Vivah  
 State Level Count Report

Application Type : Pending

SUCCESS:Sanction Details Saved Successfully

स्वीकृति उपरांत स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु Generate Sanction Order पर क्लिक करें।

Generate Sanction Order								
SNO	Samgra ID	Name	Spouse SamgraID	Spouse Name	LocalBody	Generate Sanction Order	Download Treasury File	
1	12	Laxmi Yadav	12	Saav	Janpad Panchayat, BABAI	<a href="#">Generate</a>	<a href="#">Download Treasury File</a>	

Generate Button पर क्लिक कर स्वीकृति आदेश को डाउनलोड करें व प्रिंट करें।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग  
जिला : HOSHANGABAD , म.प्र.  
नि:शक्तजन विवाह प्रोसाहन योजना अंतर्गत स्वीकृति आदेश

पंजीकरण क्रमांक : 1	संयुक्त फोटो
आवेदक/आवेदिका का नाम : Laxmi Yadav	
लिंग : Male	पिता/पति का नाम : Harkishn Yadav
आयु : 29	बचत खाता नंबर : 9001787
ग्राम का नाम :	आवेदक का नि:शक्तता का प्रकार : चलन नि:शक्तता - अस्थि
आई.एफ.एस.सी. कोड :	व प्रतिसात : बाधित
पता : रोहिंगाबाद, जनपद पंचायत, बाबई, मोहासा, मोहासा	लिंग : Female
पति/पत्नी का नाम :	स्वायत्त का नि:शक्तता का प्रकार :
आयु : 20	व प्रतिसात :
विवाह दिनांक : 22/04/2016	आवेदन दिनांक : 27

योजना के अंतर्गत आवेदक को विवाह प्रोसाहन राशि उसके बचत खाते में ट्रान्सफर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नद-दमनदि के सुखमय जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

स्थान : HOSHANGABAD  
दिनांक : 3/28/2017

हस्ताक्षर व सील  
संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण  
जिला - HOSHANGABAD म.प्र.

उपरोक्तानुसार स्वीकृति आदेश जारी कर उक्त आदेश भुगतान हेतु बैंक को उपलब्ध कराया जाये जिससे आवेदक को योजना अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से हो सके।